न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 363 सन 2022

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।।
2. विनोद कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मदनसिह पुत्र तेजमालसिह जाति राजपुत निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. महेन्द्रसिह पुत्र खेमी उर्फ गुलाब कंवर जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामेती पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 9/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 25/30 5.3130हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 349/525 हिस्सा वादी सख्या 2 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज हे वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि जो वर्तमान में मुश्तरका खाते में दर्ज है को अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है का वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के

उपखण्ड अधिकारी

समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 25/30 5.3130हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 349/525 हिस्सा वादी सख्या 2 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज हे वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 25/30 5.3130हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 349/525 हिस्सा वादी सख्या 2 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज ही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर

खण्ड अधिकारी
नोखा

धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 25/30 की कुल 5.3130हैक भूमि में से प0न0 325/400(13) के किला न0 2 ,3 ,8 ,9 प्रत्येक की 0.2530हैक 11 मिन उत्तर की 0.0506हैक, 12 ,13 ,17 ,प्रत्येक की 0.2530हैक , 18 मिन उत्तर की 0.0506हैक ,19 मिन उत्तर की 0.1518हैक , 23, 24 प्रत्येक की 0.2530हैक प0न0 325/401(16) के किला न0 3 ,4 ,7 ,8 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 3.542हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 10/0.2530 ,भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जाती है , तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 11 मिन दक्षिण की 0.2024हैक ,19 मिन दक्षिण की 0.1012हैक 20 की 0.2530 ,22/0.2530 प0न0 325/401(16) के किला न0 2/0.2530 , कुल 1.0626हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है प0न0 425/401 (16) के किला न0 9/0.2530 ,प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जर्द की जाती है तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 18 मिन दक्षिण की 0.2024हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।।
2. विनोद कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मदनसिह पुत्र तेजमालसिह जाति राजपुत निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. महेन्द्रसिह पुत्र खेमी उर्फ गुलाब कंवर जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामेती पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 363 सन 2022 निर्णय दिनांक– 09/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 25/30 की कुल 5.3130हैक भूमि में से प0न0 325/400(13) के किला न0 2 ,3 ,8 ,9 प्रत्येक की 0.2530हैक 11 मिन उत्तर की 0.0506हैक, 12 ,13 ,17 ,प्रत्येक की 0.2530हैक , 18 मिन उत्तर की 0.0506हैक ,19 मिन उत्तर की 0.1518हैक , 23, 24 प्रत्येक की 0.2530हैक प0न0 325/401(16) के किला न0 3 ,4 ,7 ,8 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 3.542हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 10/0.2530 ,भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जाती है , तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 11 मिन दक्षिण की 0.2024हैक ,19 मिन दक्षिण की 0.1012हैक 20 की 0.2530 ,22/0.2530 प0न0 325/401(16) के किला न0 2/0.2530 , कुल 1.0626हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है प0न0 425/401 (16) के किला न0 9/0.2530 ,प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जर्द की जाती है तथा प0न0 325/400(13) के किला न0 18 मिन दक्षिण की 0.2024हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी